राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)/डीएलबी/21/1250-1253 दिनांकः 31/01/2022

1. आयुक्त,
नगर परिषद,
जैसलमेर।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
नाथद्वारा/पुष्कर/आबूपर्वत।

विषयः— कृषि भूमि की 90—ए करने के लिए चैक लिस्ट में प्रकरण भेजने बाबत।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा कृषि भूमि की 90—ए करने के लिए संलग्न चैक लिस्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही प्रकरण विभाग को भेजें जावे।

संलग्नः— चैक लिस्ट प्रारूप।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS) /डीएलबी/21/1254-1260 दिनांकः 31/01/2022

प्रतिलिपि निदेशालय के निम्नांकित संबंधित अधिकारियों को प्रेषित है। विभागीय आदेश क्रमांक 02.11.2021 द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी/लिंक अधिकारी द्वारा उपरोक्त चार नगरीय निकायों से कृषि भूमि की 90—ए करने के प्राप्त प्रकरण संलग्न चैक लिस्ट अनुसार जांच कर मय आवश्यक दस्तावेज अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट करते हुए पत्रावली अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की जावें।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय।
5. उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय।
6. सचिव, भर्ती चयन आयोग निदेशालय।
7. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D/PSKS2021/letter

Scanned with CamScanner

नगरीय निकाय का नाम ....

प्रारूप

धारा 90–ए के प्रकरण की संवीक्षा हेतु चैक लिस्ट

क्र. सं.	विशिष्टयां	रिपोर्ट
1.	आवेदक का नाम/पता	
	नवीनतम राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्या आवेदक भूमि का खातेदार है ?	
2.	आवेदन के प्राप्त होने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और पृष्ठों की कुल संख्या	
3.	कम्पनी/फर्म के मामले में, रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (यदि कोई हो) के साथ रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों का ब्यौरा	
4.	ग्राम एवं तहसील का नाम और कुल भूमि क्षेत्र मय खसरा नम्बरान।	
5.	आवेदन प्रारूप के साथ भूमि हक का दस्तावेज	
	(i) पटवारी द्वारा प्रमाणित अंतिम जमाबंदी की प्रति	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति .... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(ii) पटवारी द्वारा प्रमाणित खसरा अनुरेख नक्शा	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति .... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(iii) की–प्लान (स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित)	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति .... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(iv) सम्यक रूप से अनुप्रमाणित शपथ–पत्र	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति .... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(v) सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति .... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
6.	अभिन्यास योजना इत्यादि के अनुमोदन के लिए स्थानीय प्राधिकारी को निक्षिप्त करायी गयी रकम के ब्यौरे (पूर्ववर्ती निक्षेपों, यदि कोई हो, के ब्यौरे को सम्मिलित करते हुए)	
7.	स्थल योजना या अभिन्यास योजना (Site plan or lay out plan)	हॉ/नही, यदि हो तो पृष्ठ ...../सी पर रखी गई है।
8.	स्थल आच्छादी संनिर्माण, यदि कोई हो, का नवीनतम फोटो	हॉ/नही, यदि हो तो पृष्ठ ...../सी पर रखी गई है।
9.	क्या आवेदन प्रारूप सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है।	
10.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कोई अन्य दस्तावेज	
11.	(i) अर्जन के संबंध में भूमि की प्रारिथति, यदि कोई हो। (ii) न्यायालय प्रकरण का ब्यौरा, यदि कोई हो (iii) कोई अन्य संप्रेक्षण या विवाद, यदि कोई हो (iv) क्या भूमि माफी मंदिर से प्रभावित है/नही	
12.	90–ए करने बावत राज्य स्तरीय समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित करने का ब्यौरा	

D/PSKS2021/letter

Scanned with CamScanner

13.	प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के स्वामित्व बाबत रिपोर्ट	
14	क्या प्रश्नगत भूमि से संबंधित किसी प्रकार का भुगतान/शुल्क/कर आदि संबंधित निकाय को देय है (विवरण देवें)	
15.	सेक्टर/मास्टर योजना/सड़क क्षेत्र नेटवर्क योजना के साथ खसरा/स्थल योजना का अध्यारोपण जो आवेदित भूमि तक पहुंच सड़क की स्पष्ट स्थिति दर्शित करता है (जो भी लागू हो)	
16.	क्या आवेदित भूमि से होकर कोई गैस पाईप लाईन गुजर रही है? यदि हां तो उसका ब्यौरा एवं (यह क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि मे लेण्ड स्केप विकास से भिन्न कोई संनिर्माण कियाकलाप अनुज्ञेय नही होगा)	
17.	(i) क्या आवेदित भूमि से कोई एच.टी/एल.टी. लाईन गुजर रही है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा या आवेदित भूमि में लगे ट्रांसफार्मर का ब्यौरा (यह क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि मे लेण्ड स्केप या झाडी रोपण से भिन्न कोई संनिर्माण कियाकलाप अनुज्ञेय नही होगा)	
	(ii) आवेदित भूमि के 500 मीटर रेडियस की परिधि में पांवर लाईन एवं 60 फीट अथवा अधिक चौडाई की सडक उपलब्ध है अथवा नही के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट	
18.	आवेदित भूमि का प्रभावित करने वाली ग्रीन बेल्ट का ब्यौरा (यह क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि मे लेण्ड स्केप या झाडी रोपण या पार्किंग से भिन्न कोई संनिर्माण कियाकलाप अनुज्ञेय नही होगा)	
19.	आवेदित भूमि का कोई भी हिस्सा सेक्टर/मास्टर योजना सड़क के अधीन आता है या नही ? (यह क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में निशुल्क अभ्यर्पित होगा और कुल आवंटित क्षेत्र से कम कर दिया जायेगा। पूर्ववर्ती पट्टा विलेख/स्थल योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने की स्थिति में यह क्षेत्र नवीनतम सेक्टर या मास्टर योजना की अपेक्षा के अनुसार कम कर दिया जायेगा) यदि हां तो समर्पण की सहमति दी है अथवा नही।	
20.	आवेदित भूमि का क्षेत्र सुविधा के अधीन आता है (राज्य नीति, राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र के उपबन्धों के अनुसार) (यह क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में निशुल्क अभ्यर्पित होगा और कुल आवंटित क्षेत्र से कम कर दिया जायेगा किन्तु ऐसे मामलों में जिसका पट्टा विलेख राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी--2010 जारी किये जाने की	

Scanned with CamScanner

	तारीख से पहले निर्मुक्त कर दिया गया है, कम नही किया जायेगा) यदि हां तो की गई कार्यवाही का विवरण देवें।	
21.	मार्गाधिकार कितने मीटर का उपलब्ध है? और विद्यमान पहुंच सडक कितने मीटर की उपलब्ध है का ब्यौरा मानको के अनुसार उसकी उपलब्धता के संबंध में टिप्पणी सहित एवं क्या यह उपलब्ध सडक की चौडाई आवेदित प्रयोजन के लिए पर्याप्त है या नही स्पष्ट रिपोर्ट करे।	
22.	क्या आवेदित भूमि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित क्षेत्र के अध्यधीन है (अगर नही है तो स्पष्ट रूप से नही लिखे अगर है तो पूरा ब्यौरा देवें)	
23.	भूमि का प्रयोजनः– (क) प्रचलित मास्टर विकास योजना अनुसार (ख) भूमि की स्थिति	
24.	स्थल रिपोर्ट का ब्यौरा (क) खुली भूमि का प्रतिशत (ख) खेती के अधीन भूमि का प्रतिशत (ग) भूमि पर संनिर्माण का प्रतिशत (घ) क्या कोई सीमा दीवार या भूमि का सीमांकन विद्यमान है और स्थल पर उपलब्ध है। (ड.)एच.टी./एल.टी./ट्रांसफार्मर यदि कोई हो की स्थिति (च)प्राकृतिक नाला, जलमग्नता/तालाब/नदी इत्यादि यदि कोई हो के बहाव क्षेत्र की स्थिति (छ)निर्बन्धित क्षेत्र/असुरक्षित क्षेत्र का कोई अन्य ब्यौरा (नियम–3 देखिये) (झ)क्या भूमि लो लाईन ऐरिया से प्रभावित है या नही	
25.	आवेदित भूमि के निकट किसी परियोजना स्थल चाहे विद्यमान हो या अनुमोदित का ब्यौरा, प्रस्तावित/विद्यमान सडक नेटवर्क की, बराबर लगी हुई स्कीम के साथ संबद्धता सहित ब्यौरा	नही/यदि हां तो ब्यौरा पृष्ठ ..../सी पर रखा गया है।
26.	स्थल से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरे	
27.	क्या आवेदित भूमि अनुमोदन के लिए पात्र है (स्पष्ट अनुशंषा अंकित करे)	

हस्ताक्षर

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगरीय निकाय ....

Scanned with CamScanner